FIROZABAD POLICE

सुरक्षा आपकी

संकल्प हमारा

प्रेस नोट दिनांक 07-09-2026 जनपद फिरोजाबाद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद के टॉप सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर / कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मीटिंग आयोजित की गयी।

आज दिनांक 07-09-2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनपद के टॉप सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर / कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मीटिंग आयोजित की गयी। बैठक का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को **साइबर अपराध से बचाव, यातायात नियमों का पालन तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सकारात्मक उपयोग** के प्रति जागरूक करना रहा।

बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपस्थित सभी इन्फ्लूएंसर / कंटेंट क्रिएटर्स को वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों के संबंध में पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए साइबर फ्रॉड से बचाव के विभिन्न उपायों के बारे में अवगत कराया गया। विशेष रूप से आमजन को साइबर ठगी का शिकार होंने पर तत्काल **साइबर हेल्पलाइन नम्बर-1930** पर शिकायत दर्ज कराने हेतु जागरूक करने की अपील भी की गयी। बताया गया कि साइबर फ्रॉड होंने की स्थिति में पीड़ित द्वारा बिना समय गंवाए तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे ठगी की गयी धनराशि को ट्रांसफर होंने से रोकने की कार्रवाई समय से की जा सके।

आपातकालीन प्रतिक्रिया / गोल्डन 10 मिनट: फ्रॉड होंने पर तुरंत करें ये कार्य:-----

1. 1930 हेल्पलाइन पर कॉल: तत्काल राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर घटना की जानकारी दें ताकि धोखाधड़ी की गई राशि समय रहते फ्रीज की जा सके।

2. [अधिकारिक पोर्टल] पर शिकायत: आधिकारिक पोर्टल / साइट्स (www.cybercrime.gov.in) पर जाकर फ्रॉड की विस्तृत लिखित शिकायत दर्ज कराएं ताकि कानूनी कार्रवाई शुरू हो सके।

3. बैंक/वॉलेट ब्लॉक: अपने बैंक, क्रेडिट/डेबिट कार्ड जारीकर्ता या यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर को तत्काल सूचित कर अपने खातों को लॉक/ब्लॉक कराएं।

4. सबूत सुरक्षित रखें: धोखाधड़ी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन आईडी (UTR), चैट्स, स्क्रीनशॉट, एसएमएस और कॉलर मोबाइल नंबर सुरक्षित रखें।

5. पासवर्ड व पिन बदलें: अपने नेट बैंकिंग पासवर्ड और यूपीआई पिन को तुरंत बदलें तथा सभी संदिग्ध डिवाइस से अपने खातों को लॉगआउट (□□□□□) करें।

6. संपर्क विच्छेद: संदिग्ध जालसाज व्यक्ति से आगे कोई बातचीत या लेनदेन न करें तथा उनके द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन पूरी तरह बंद कर दें।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया आज आमजन तक सूचना पहुंचाने का अत्यंत प्रभावी माध्यम है। ऐसे में किसी घटना से संबंधित वीडियो अथवा कंटेंट वायरल होंने पर बिना तथ्यों की पुष्टि किये उसे प्रसारित करने से पूर्णतः बचना चाहिए। वायरल हो रहे किसी भी कंटेंट के संबंध में **तथ्यात्मक एवं सही जानकारी होंने पर ही उसे शेयर / फारवर्ड करना चाहिए।**

इन्फ्लूएंसर से अपील की गयी कि किसी घटना के संबंध में पुलिस/प्रशासन द्वारा जारी किये गये आधिकारिक बयान एवं वर्जन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे आमजन को घटना की वास्तविक एवं प्रमाणिक जानकारी प्राप्त हो सके तथा **भ्रामक सूचनाओं एवं अफवाहों पर प्रभावी रूप से विराम लगाया जा सके।**

बैठक के दौरान यातायात नियमों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने पर भी विशेष चर्चा की गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इन्फ्लूएंसर से अपील की गयी कि वे अपने-अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से **हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट का प्रयोग करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा रॉन्ग साइड वाहन न चलाने** के संबंध में प्रभावी जागरूकता अभियान चलाने में पुलिस का सहयोग करें।

विशेष रूप से इन्फ्लूएंसर से **यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित छोटे-छोटे एनिमेशन, रील्स एवं जागरूकता वीडियो** तैयार कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का अनुरोध किया गया, ताकि युवाओं एवं आमजन तक यातायात नियमों का संदेश सरल, प्रभावी एवं रोचक माध्यम से आमजन तक पहुंचाया जा सके। इस प्रकार के जन-जागरूकता प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी लाने तथा सुरक्षित यातायात व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि **पुलिस एवं समाज के बीच संवाद स्थापित करने में सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर की महत्वपूर्ण भूमिका है।** उनके माध्यम से साइबर सुरक्षा, यातायात नियमों, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा अन्य जनहितकारी विषयों की जानकारी बड़ी संख्या में लोगों तक कम समय में पहुंचाई जा सकती है।

बैठक के अंत में उपस्थित सभी इन्फ्लूएंसर द्वारा साइबर अपराध एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस विभाग द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता अभियानों में सक्रिय सहयोग प्रदान करने तथा सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राहवीर योजना के सम्बन्ध में भी आमजन को जागरूक

करने की अपील की गयी। इस योजन के तहत भारत सरकार द्वारा जान बचाने वाले मददगार को 25 हजार रूपये का नगद पुरस्कार व प्रमाण पत्र दिया जाता है।

मीटिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक / नोडल अधिकारी साइबर क्राइम श्री राजेश घुनावत, प्रभारी सोशल मीडिया सेल ओम हरि वाजेपेयी मय सोशल मीडिया पुलिस टीम, प्रभारी साइबर सेल श्री संजुल पाण्डेय मय साइबर सेल पुलिस टीम एवं अन्य अधिकारी / कर्मचारी उपस्थित रहे।